

विचार बिन्दु

आत्मा ही अपना स्वर्ग और नरक है। -उमर खैयाम

सांसदों को सदन में बोलने की पूर्ण आजादी है, उन्हें उन्मुक्ति (Immunity) व विशेषाधिकार (Privileges) प्राप्त है

भारत को संसद राष्ट्रपति तथा राज्य सभा व लोकसभा से मिलकर बनी है। इनमें जो केवल लोकसभा की विधित्त हो सकता है। राज्यसभा एक शाश्वत सभा है। इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि संसद राष्ट्रपति तथा ऐसा व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करे। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की बैठक आहूत करते हैं।

संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यह लोकसभा यानी लोक सदन है। सांसदों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। कोई व्यक्ति लोकसभा के लिये चुने जाने का तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस पद आसीन अधिकारी को स्पीकर भी कहते हैं। यह पद प्रतिष्ठा, प्रताप और आधिकार वाला होता है। अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन को कार्यवाही का सहज व सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करे। सदन के अन्दर तथा सदन से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष का कथन सर्वक के लिये मान्य होता है। सदन अपनी प्रक्रिया का सर्वाधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार सदन अपनी प्रक्रिया के तथा कार्य संचालन के लिये नियम बना सकता है। यो अध्यक्ष का पद साधारणतः हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान होता है।

संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को किसी अधिकृत अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद का कोई अधिकारी या संसद सदस्य पर प्रक्रिया विनियमन अथवा कार्य संचालन के मामलों किसी शक्ति के प्रयोग के लिये न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 122 इस बाबत स्पष्ट निर्देश देता है कि न्यायालयों द्वारा संसद को कार्यवाहियों की जांच नहीं की जावेगी।

संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों उनके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों व विशेष अधिकारों आदि के बाबत प्रावधान दिये गये हैं। विशेषाधिकार ऐसा अधिकार है जिसके बिना सांसद अपने कृत्य का निर्वहन नहीं कर सकते जिसकी उनके अपेक्षा की जाती है। यो सांसदों को भी वे सब अधिकार तो हैं ही जो सामान्य नागरिक को हैं, किन्तु जब वे संसद में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। इस विशेषाधिकार में संसद में बोलने की आजादी। उन्हें अपनी कही हुई बात के लिये न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। उन्हें संविधान के उपबन्धों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों तथा स्थायी आदेशों के रहते हुये संसद में बोलने की आजादी है। सांसदों को वे अधिकार प्राप्त हैं जो 26.01.1950 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे।

इन प्रावधानों को जो विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखते हैं, हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई साधारण व्यक्ति कुछ अपमानजनक बात करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु संसद सदस्य जब सदन में बोलता है तो उसे अन्मुक्ति प्राप्त है। उसके विरुद्ध इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती कि उसका भाषण अपमानजनक या मानहानिकारक था। सदस्य द्वारा संसद में कही गई बात के लिये उसकी आलोचना करना या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1958 के निर्णय दिनांक 12.12.1998 में जो एम एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा के केस में दिया है (1958 AIR 395) साधारण नागरिक की अभिव्यक्ति के अधिकार तथा सांसद के विशेषाधिकार में भेद किया है। यह केस सर्वोच्च कोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'सर्च लाइट' के सम्पादक को विहार विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष कारण बताते के लिये कहा गया था कि उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन के लिये कार्यवाही क्यों न की जावे? (सांसदों पर अनुच्छेद 105 व विधायकों पर अनुच्छेद 194(3) लागू होता है।)

लेखक का मत है कि जहां तक विशेषाधिकार के मामलों का संबंध है, सर्वोच्च कोर्ट के केस का निर्णय आज भी अन्तिम निर्णय है।

गत सदन का शीतकालीन सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हल्ला बोला। सदन की मर्यादा और वाणी की विनम्रता को ताक में रख दिया। हंगामे से प्रारम्भ हुआ सत्र हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। दिनांक 25 नवम्बर को अग्रणी मामले में चर्चा की मांग पर हंगामा हुआ और इसी हंगामे से सत्र प्रारम्भ हुआ। हंगामे में ही बाबा साहेब आम्बेडकर के मान-अपमान में ही सत्र की समाप्ति हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन पर कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाये रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद के किसी भी द्वार पर धरना-प्रदर्शन करना उचित नहीं है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो संसद को अपनी मर्यादा और गरिमा बनाये रखने के लिये जरूरी कार्यवाही करने का अधिकार है। अध्यक्ष जी के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि संसद की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने के लिये, मर्यादा भंग करने और गरिमा नष्ट करने वाले सांसदों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करने का अधिकार अध्यक्ष को अर्थात् सदन को प्राप्त है।

सदन के इतिहास में शायद इतना हंगामा कभी नहीं देखा गया। लोगों ने सदन की गरिमा को तालात होते टीवी पर देखा। घटनाओं को बहुत ही बुरा ही हंगामेदार रखा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हल्ला बोला।

लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन पर कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाये रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद के किसी भी द्वार पर धरना-प्रदर्शन करना उचित नहीं है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो संसद को अपनी मर्यादा और गरिमा बनाये रखने के लिये जरूरी कार्यवाही करने का अधिकार है।

संसद परिसर में धक्का-मुक्की की घटना हुई। आरोप है कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत व प्रताप सारंगी को धक्का दिया, उन्हें चोटें आईं और सांसद को घमकी दी। इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने भी भाजपा के सदस्यों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। देश में जगह जगह कांग्रेस ने इनके विरुद्ध प्रदर्शन किये।

यह माना जा रहा है कि हंगामों के कारण पूरे सत्र में राजसभा का 40.03 प्रतिशत व लोकसभा का 57.08 प्रतिशत ही उपस्थिता रही। विधायी कामकाज बहुत कम हुआ। राज्यसभा के अध्यक्ष श्री जगदीप धनकड़ ने कहा कि यह कठु सत्य परेशान करने वाला है कि सत्र में काम काज बहुत कम हुआ। निरन्तर व्यवधान जनता के भरोसे को घटा रहा है।

संविधान ने लोकसभा को विशेषाधिकार के हनन पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 105 में यह व्यवस्था है कि संसद में या उसकी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी बात या प्रकाशन के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्हें वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो समय समय पर विधि द्वारा परिमितकृत किये गये हैं और तब तक यह नहीं होता, वही होगा जो संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन को था।

वस्तुतः सांसदों के लिये विशेषाधिकार का मुद्दा इंग्लैंड से प्रारम्भ हुआ ताकि सांसदों को बादशाह द्वारा उपीड़ित होने से बचाया जा सके। भारत में भी स्थिति यही है। किसी सांसद को उपीड़ित करना अत्याचक भर्ती परीक्षा में प्रवेश करने के लिये उसके विरुद्ध कोई कदम उठाना संसदीय विशेषाधिकार का हनन माना गया है। सर्वोच्च कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 105 के अधीन सदस्यों को बोलने की आजादी दी है। उनके विरुद्ध कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं होगी। अपने संसदीय कर्तव्यों को पालना में सदस्यों द्वारा कही गई बात की जांच-पड़ताल को सदस्यों के अधिकार में गम्भीर हस्तक्षेप माना जावेगा। सदस्य के सभा (सदन) में दिये गये भाषण से न्यायालय की अवमानना भी हो तो भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। अनुच्छेद 122 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है।

दिनांक 30.05.1997 को विहार विधानसभा में बहस हो रही थी, उस समय एक बुजुर्ग सदस्य एम पी एन सिंह ने भाषण दिया। उसने मुख्यमंत्री एस के सिन्हा की शासन की कठु आलोचना की। अध्यक्ष ने आपत्तिजनक अंश को निकालने का आदेश दिया। इस प्रकरण के औचित्य की जांच के हेतु विशेषाधिकार समिति को यह मामला भेजा गया। समिति ने कार्यवाही को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना और अनुच्छेद 21 के तहत भी अवैध माना है। प्रतिवादी ने अनुच्छेद 194(3) का सहारा लिया (यह प्रावधान विधायकों पर लागू है और अनुच्छेद 105 के समान है जो सांसदों पर लागू)। घटया गया भाग प्रकाशन का अधिकृत भाग नहीं बना था। अतः यह विधानसभा को विशेषाधिकार का उल्लंघन था।

हमारे सामने सदन की कार्यवाही के सन्दर्भ में दो घटनायें प्रमुख हैं। एक घटना संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब आम्बेडकर पर केन्द्र के गृहमंत्री अमितशाह के सदन में दिये बयान के विषय पर है कि उन्होंने आम्बेडकर का अपमान किया है और कांग्रेस की मांग है कि वे माफी मांगे तथा इस्तीफा दें। यह विवाद निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 105 से सम्बन्ध रखता है और विशेषाधिकार का है। यहाँ भी स्थिति साफ नहीं है कि गृहमंत्री ने जो बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्बन्ध में कहा वह वास्तव में अपमानकारक था या उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस ने हेमशा बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें इस्तीफा देने को विवश किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया तथा उन्हें चुनाव में हराया। किसी ने 15 सेकण्ड की प्रक्रिया सोशल मीडिया पर लोड की है। यह आरोप है कि जो कुछ डा. आम्बेडकर के लिये कहा है वह अशोभनीय व अपमानजनक है, जबकि भाजपा का कथन है वह भाषण के विषय से भिन्न है। कुछ भी हो, गृहमंत्री अमित शाह ने जो भी कहा उसके लिये उन्हें विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत प्राप्त है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये और संसद अध्यक्ष जी ही इस संबंध में अनुच्छेद 105 की प्रक्रिया के अनुसार निर्णय करें। अन्य किसी संस्था अथवा व्यक्ति को कोई प्केशन लेने का अधिकार नहीं है और वे सब सर्वोच्च कोर्ट के नजीर की रोजनी में, यह केस अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार हनन माना जा सकता है। जहाँ तक धक्का-मुक्की वाला मामला है, यह संसद की कार्यवाही के दौरान नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। केमरे के फुटेज की मांग दिल्ली पुलिस ने संसद अध्यक्ष जी से की है। गवाहों के बयान लिये जा रहे हैं। केस की जांच कानूननुसार की जा रही है। यहाँ तक कि राहुलजी को भी सीन क्रियेट करने हेतु बुलाया है। चूंकि पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट का मामला है अतः गुण दोष पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। हाँ, इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्या यह प्रसंग भी विशेषाधिकार का हो सकता है? श्रमिक व मालिक के सम्बन्ध के संदर्भ में कहा जाता है जहाँ घर से ड्यूटी पर जाने के समय यदि एकसीडेट होता है तो श्रमिक को ऑन ड्यूटी माना जाता है। कहा जाता है राहुल जी संसद में भाग लेने गये थे और संसद के प्रयोग में घटना घटित हुई। यहाँ लिखना उचित होगा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही ने एफआईआर दर्ज कराई है और घटना के विषय को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का माना है। अतः कोर्ट में कार्यवाही होगी।

संविधान की जय हो, जय हो, जय हो।
-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान: स्कूली शिक्षा में लड़खड़ाती अंग्रेजी



राजेन्द्र जोशी

सरकार किसी भी दल की हो वह आमजन के कल्याण के लिए कार्य योजनाएं बनाती है, उसे लागू करती है व उसके पीछे भावना यही रहती होगी की प्रदेश की जनता को इस योजना का भरपूर लाभ मिलेगा। परंतु सरकार में बैठे हुए नौकरशाह और सरकार चलाने वाले शेरशाह यह नहीं देखते कि किसी भी योजना को प्रारंभ करने से पहले उस

पर प्लानिंग की जानी चाहिए, जब प्लानिंग पूरी हो जाए, व्यवस्थित योजना बन जाए, उसके बाद ही क्रियान्वयन होना चाहिए। व्यक्ति और देश-प्रदेश के भविष्य के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी शिक्षा ही विकसित राष्ट्र बनाती है। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह दूध है जो जितना ज्यादा पीएगा उतना ज्यादा दहाइगा।

राजस्थान की बात करें तो शिक्षा विभाग पिछले अनेक वर्षों से प्रयोगशाला बनकर रह गया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरशाहों के भरोसे काम कर रही है। शिक्षा में शिक्षाविदों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है, राजस्थान में शिक्षाविदों को शिक्षा विभाग में शायद पृष्ठना उचित नहीं लगता। इसलिए यहाँ शिक्षा विभाग की प्रत्येक योजना धराशायी हो जाती है। पिछली राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, भावना यही थी कि राजस्थान के बच्चे अंग्रेजी विषय में कमजोर रहते हैं, उन्हें

अंग्रेजी विषय पढ़ाकर राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बराबरी पर लाया जाए। परंतु आधी-अधुरी योजना के तहत खोली गई स्कूलें आज अध्यापकों की बाट जो रही है। कहीं समझदार अधिभावक अपने बच्चों को भरती करने के बाद वापस निकाल रहे हैं, तो कहीं-कहीं पर इन स्कूलों में अधिभावक बच्चों को भरती करने से किनारा कर रहे हैं।

जब से अंधाधुंध महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलने की घोषणाएं की गईं। घोषणा मात्र से ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अच्छी खासी चल रही सामान्य स्कूलें परिवर्तित हो गईं। जब से यह इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली इनमें हिन्दी वाले अध्यापकों को लगा दिया गया। और इन स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हो पाए। उचित यह होता कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करने से पहले अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का पैन्ल तैयार किया जाता। उस पैन्ल में से शिक्षकों का साक्षात्कार लिया जाता,

जब समुचित मात्रा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हो जाते तो उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के अनुसार ही स्कूलें खोली जाती।

पिछली सरकार ने बगैर सोच-विचार के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें में खोल दी। आधी-अधुरी कार्य योजना के कारण अब स्थिति भयावह हो गई। वर्तमान सरकार भी इन स्कूलों से प्यार नहीं कर रही, स्कूलों से प्यार नहीं करने का मतलब है कि उन स्कूलों में अध्वरान विद्यार्थी और अधिभावक भविष्य को लेकर चिंतित है। वर्तमान समय में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अध्ययनरत छात्र ना हिन्दी पढ़ रहे हैं और ना ही अंग्रेजी। स्कूल वेग भी नहीं खुलता।

3737 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित किया गया था, आज स्थिति यह है कि आरंभ मात्र में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 79 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया। संभवत यह 79 हजार शिक्षक

अंग्रेजी पढ़ाने में परिरक्व होंगे। परंतु इनका चयन अभी तक नहीं किया गया ऐसे में इनमें अध्वरान बच्चे ना तो अंग्रेजी में पारंगत होंगे और ना हिन्दी में पारंगत होंगे। इसलिए सरकारी को चाहिए कि केवल घोषणाओं से वाह-वाह लूटने और नंबर बढ़ाने कि बजाय क्रियान्वयन की गुणवत्तापूर्ण हो।

मजबूत कार्य योजना बनाने के बाद समुचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता अगर सरकार में हो तभी योजना लागू की जानी चाहिए। अगर सरकार पूरी तरह संसाधनों के साथ क्षमता के साथ योजना लागू करेगी तो आने वाली सरकारों भी उस योजना को बंद नहीं कर पाएगी। अन्याया बंद करने के लिए उनके पास यह विषय आज जाता है कि यह आधी अधुरी योजना है। वर्तमान सरकार को चाहिए कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को गुणवत्ता के आधार पर स्कूलों को शिक्षक अनुपात में इन्हें ठीक से चलाने का प्रयास करें।

-राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार

जैसलमेर में सैलानियों की आवक से होटल व रिसोर्ट हाउसफुल



जैसलमेर में किला पार्किंग में सैलानियों की गाड़ियां।

जैसलमेर, (नि.सं.)। 55वीं जीएसटी परिषद की 21 दिसम्बर को हुई बैठक की महीनों से पूरे भारत में चर्चा से इस बार उम्मीद से तीन गुना देशी सैलानियों की आवक हो रही है। होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट, चाट ठेलों, श्री व्हीलर वालों के चेहरों पर खुशी छाई हुई है। प्रशासन द्वारा जीएसटी परिषद की बैठक तक सभी व्यवस्था सिंगापूर शहर की भांति थी, वर्तमान में वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति है। हालात यह है कि सैलानियों को आसानी से होटलों में जगह तक नहीं मिल रही है। बुधवार की रात जैसलमेर शहर हाउसफुल नजर आया। जब शहर का भ्रमण किया तो कई जगहों पर सैलानी सड़कों के किनारे खड़े वाहनों में सोते नजर आए।

गांधीनगर गुजरात से आए गोकुल भाई अपने परिवारों व रिश्तादारों के साथ बस में जैसलमेर घूमने आए हुए थे। उनके साथ 45 यात्री थे। करीब 30 से 40 होटलों में तलाश करने पर भी जगह नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने बस में ही रात बिताने का निर्णय लिया और इस सर्द मौसम में ठिठुरते रहे। यह सिर्फ गोकुल भाई के साथ ही नहीं, कई

सैलानियों के साथ हुआ, जब वे शहर पहुंचे तो उन्हें जगह नहीं मिली और आखिर सड़क किनारे गाड़ियों को पार्क कर वहीं पर खाना बनाया और खाने के बाद रात में ही वापस यहां से निकल गए। एक अनुमान के मुताबिक शहर में इन दिनों रोजाना 8 हजार से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा ट्रेन,

प्लाइट व बसों से आने वाले सैलानी अलग है।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कड़े प्रबंध कर रखे हैं। सोनार दुर्ग जाने व आने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। गड़ीसर चौराहे की तरफ से आने

वाली गाड़ियों को ऑफिसर चौराहा से घूमकर देवचंद्रेश्वर मंदिर के सामने से रिंग रोड स्थित पार्किंग पर जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं वहां से वापस बस निकलने के लिए डिब्बा बाइस होकर नगर परिषद के पास से मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण कई जगहों पर व्यवस्था

- एक अनुमान के मुताबिक शहर में इन दिनों रोजाना आठ हजार से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं।
- कई पर्यटकों ने बसों में ही रात बिताने का निर्णय लिया और इस सर्द मौसम में ठिठुरते रहे

गड़बड़ा रही है पार्किंग स्थल फुल है। पर्यटन नगरी जैसलमेर में गाड़ियों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन आ रहे हैं, लेकिन इन वाहनों को खड़ा करने के लिए जिला प्रशासन व नगर परिषद ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इस वजह से सैलानियों को सड़कों के किनारे ही वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं। यह समस्या पर्यटन सीजन में हर साल होती है, लेकिन इस ओर न तो नगरपरिषद ध्यान दे रही है और न ही जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है।

‘अब अभ्यर्थी गर्म कपड़े व जूते पहनकर दे सकेंगे परीक्षा’

- वर्ष 2024 की आखिरी भर्ती परीक्षा में आर.पी.एस.सी. ने सर्दी को देखते हुए राहत दी
- विरष्ट अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी

अजमेर, (कांसं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सर्दी के तीखे तेवर शीतलहर के मद्देनजर वर्ष 2024 की आखिरी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को सर्दी से बचाने के लिए एफ वी कपड़े एवं जूते पहनकर परीक्षा देने की राहत दी है। विरष्ट अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जूते, दुपट्टा सहित अन्य सामान केंद्र के बाहर ही उतरवा लिया जाता था। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आगामी 28 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली विरष्ट अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रदेशभर के करीब 4 लाख 70 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रांश और शीतलदार के चलते कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके मद्देनजर आयोग की सुबह की परी में होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को खासी परेशानी होती। पहली पारी का पेपर सुबह नौ बजे शुरू

होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को सुबह सुबह बजे से ही परीक्षा सेंट्रों पर पहुंचना होगा है। आठ बजे बाद परीक्षा केंद्र में एंटी बंद कर दी जाएगी। सुबह के समय ही सबसे अधिक परेशानी होती है। ऐसे में आयोग ने परीक्षा नियमों में अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की है। कृपाण लेकर जा सकेंगे सिख धर्म के अभ्यर्थी -आयोग सचिव मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को सर्दी के मौसम को देखते हुए राहत प्रदान की गई है। परीक्षा में सिख धर्म के अभ्यर्थी

कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। फ्रिजिंग के दौरान इन प्रतीक के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण या वस्तु मिलने पर उसे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सचिव मेहता ने बताया कि परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी, जिसमें 28 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सुबह 9:30 से 12 बजे, हिन्दी दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे, 29 दिसंबर को जोके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सुबह 9:30 से 11:30 बजे, साइंस दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे, 30 दिसंबर को गणित सुबह 9:30 से 12 बजे, संस्कृत दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे और 31 दिसंबर को इंग्लिश सुबह 9:30 से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने पर 40 प्रिंसिपल तलब

प्रिंसिपलों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया

बीकानेर, (नि.सं.)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने और आस-पास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने पर शिक्षा विभाग ने 40 प्रिंसिपल को नोटिस देते हुए निदेशालय में तलब किया है। प्रिंसिपल को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 40 प्रिंसिपल को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिया था। नोटिस में नामांकन कम होने के साथ ही आस-पास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने के आरोप लगाए हैं। अलग-अलग जिलों के 40 प्रिंसिपल को नोटिस के बाद अब व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस दौरान प्रिंसिपल के जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर स्कूल में टीचर्स के पद रिक्त होने, गार्जनों के ट्रांसफर होने

- संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है

या फिर किसी अन्य उचित कारण के नामांकन कम होता तो कार्रवाई नहीं होती। इसके विपरित अगर रिजल्ट खराब होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं की संख्या कम होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये सभी प्रिंसिपल गुरुवार को ही बीकानेर आएं और यहाँ निदेशक के सामने पेश होंगे। जिन जिलों में नामांकन कम होने के कारण सत्र ही सीसीए में नोटिस दिए गए हैं, उनमें बीकानेर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बूंदी, चूरू, जालौर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, सिरौही और हनुमानगढ़ के स्कूल प्रिंसिपल शामिल है।

राशिफल शुक्रवार 27 दिसम्बर, 2024

पौष मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:29 तक, धृति योग रात्रि 10:37 तक, कौलव करण दिन 1:35 तक, चन्द्रमा दिन 1:57 से वृश्चिक राशि में सांघार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज राजयोग रात्रि 8:29 से रात्रि 2:27 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 8:29 से सूर्योदय तक है। महापात योग दिन 2:35 से रात्रि 9:35 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:10 तक, शुभ 12:28 से 1:45 तक, चर 4:20 से सूर्यास्त तक।

राहकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 5:37

	मेघ परिवार में आपसी सहयोग-सम्बन्ध बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। दिन के मध्यह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।		सिंह व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।		धनु आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यह्न पश्चात अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में अस्तोष बना रहेगा।
	वृष मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आर्थिक मतभेद दूर होने लगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिवसों में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।		कन्या आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।		मकर व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शोभा/सुप्रसन्नता से बने लगे। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।
	मिथुन व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।		तुला मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।		कुंभ घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समाहोद सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	कर्क परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।		वृश्चिक घर-परिवार के कार्यों के लिए कार्यवाही करें। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। दिन के मध्यह्न पश्चात वर्तमान में चल परेशानियां दूर होने लगेगी।		मीन अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलंब हो सकता है। दिन के मध्यह्न पश्चात अटक हुए कार्य बने लगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।